राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री निखिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
52 / 2022	दावा 91, 88 RTA	20.04.2022	23.12.2022

1. उम्मेदराम उर्फ उम्मेद कुमार पुत्र श्री भुगानाराम जाति जांगिड़ निवासी खवडवा पट्टा पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. शाखा प्रबंधक, पजाब नेशनल बैंक शाखा घण्टेल तहसील व जिला चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री रामप्रसाद व हकीम अहमद
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीग की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 91, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील व जिला चूरू का मूल निवासी है। वादी की कृषि भूमि इसी ग्राम में स्थित है।

वादी की खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि ख. नं. 29, 352 / 30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके खाता संख्या नया व पुराना 94 है। वादी की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर पंजाब नेशनल बैक घण्टेल से के.सी.सी. से ऋण ले रखा है तथा बैंक में रहननामा दर्ज होने के से पक्षकार बनाया गया है।

उक्त ख. नं. 29, 352 / 30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का भूलवश टंकणीय गलती से नाम मेदाराम अंकित हो गया है। वादी का सत्य सही व वास्तविक नाम उम्मेदराम है। वादी का सही व शुद्ध नाम उम्मेदराम है जो समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड में उम्मेदराम या उम्मेद कुमार है। वादी का सही व दस्तावेजी नाम उम्मेदराम है जो जमाबंदी में भूलवश मेदाराम दर्ज होने से राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा व अन्य सुविधाऐं लेने में में बड़ी हैरानी , परेशानियां रहती है नाम गलत अंकित होने से सुविधाओं से वंचित भी रह जाता है। इसलिए वादी का नाम बोलचाल की भाषा में मेदारम के बजाय सही सत्य व शुद्ध के सम्मान जनक शब्दों में उम्मेदराम उर्फ उम्मेद कुमार की घोषणा किया जाना न्यायोचित है।

वादी उक्त कृषि भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बैंक में नवीनीकरण के आवेदन करने पर नाम आधार कार्ड में उम्मेदराम बल्कि जमाबंदी में मेदाराम अंकित होने का ज्ञान व जानकारी 25 फरवरी 2022 को हुयी। वादी को प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने पर पता चला कि उक्त नाम भिन्नता के कारण आप सुविधाओं से वंचित भी हो सकते हो। इसलिए वादी को विरूद्ध

प्रतिवादीगण वादाधार हासिल है। इसी कारण वादी को वादकारण व वाद हेतुक दिनांक 25.02.2022 को हासिल हुआ।

प्रतिवादी संख्या 2 बैंक से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादी उक्त खसराजात की पूर्ण खता की कृषि भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार चूरू का समस्त दायित्व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती शुद्ध अंकन का है इसलिए आवश्यक पक्षकार है।

उक्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है।

उक्त दावा वाजिब न्यायालय शुल्क व ज्ञान अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जायेंगे।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष अनुसार अंतिम रूप से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) वादी का दावा बहक वादी अंतिम डिक्री किया जाकर वादी कीकृषि भूमि ख. नं. 29, 352/30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में वादी का सत्य सही व शुद्ध नाम मेदाराम की बजाय उम्मेदराम उर्फ उम्मेद कुमार किये जाने की घोषणा की डिक्री जारी की जावे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार चूरू को तदनुसार उक्त खसराजात के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के लिए पाबंद किया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौरान दावा सुनावाई न्यायोचित हो जावे वो भी वादी को दिलवायी जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई । प्रतिवादी संख्या 02 की पर रजि. डाक से तामिल होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 02 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गइ। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि जवाब नहीं देना चाहते, जिस पर जवाब बन्द किया जाकर वकील वादीगण को साक्ष्यवादी हेतु कहा गया। वकील वादी ने कथन किया कि पत्रावली पर पेश दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जावे, जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा टंकणीय भूल वश मेदाराम दर्ज हो गया है जबकि वादी का सत्य सही व शुद्ध नाम उम्मेद राम है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उन्हें केसीसी व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादी ने अपने दावा के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम उम्मेदराम या उम्मेदकुमार है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक मेदाराम के स्थान पर उम्मेदराम उर्फ उम्मेद कुमार अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख. नं. 29,

352/30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम मेदाराम दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के परिवार राशन कार्ड सं.ख्या 007046700104, मतदाता पहचान पत्र सं. RJ\03\020\012208, आधार कार्ड सं. 674498904445 पेन कार्ड GPWPK8895C आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम उम्मेदराम या उम्मेद कुमार अंकित है फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार चूरू में भी अंकित किया गया है कि मेदाराम व उम्मेदराम दोनों एक ही है तथा वादी का सही नाम उम्मेदराम है। दावा में राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार, चूरू प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में जवाब न देकर जांच रिपोर्ट पेश की है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. ख. नं. 29, 352/30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में वादी का गलत नाम मेदाराम अंकित चला आ रहा है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहत है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने परिवार के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का नाम उम्मेदराम है अंकित है । राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होता है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खण्डवा पट्टा पिथीसर, रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि ख.नं. ख. नं. 29, 352/30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ. नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू की जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम मेदाराम के स्थान पर उम्मेदराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि किसी बैंक के रहन है तो यथावत रहन रहेगी । यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी अन्य न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निखिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री निखिल कुमार आर0ए0एस0

उम्मेदराम उर्फ उम्मेद कुमार पुत्र श्री भुगानाराम जाति जांगिड़ निवासी खवडवा पट्टा पीथीसर तहसील व जिला चूरू(राज)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. शाखा प्रबंधक, पजाब नेशनल बैंक शाखा घण्टेल तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 52 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामप्रसाद व हकीम खान एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:

दावा वादी अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खण्डवा पट्टा पिथीसर, रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि ख.नं. ख. नं. 29, 352/30 रकबा क्रमशः 9.9401 व 0.6754 हैक्टेयर कुल रकबा 10.6155 हैक्टेयर रोही ग्राम खण्डवा पट्टा पीथीसर पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू की जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम मेदाराम के स्थान पर उम्मेदराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि किसी बैंक के रहन है तो यथावत रहन रहेगी । यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी अन्य न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह दिसम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

(निखिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू